प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष-2022 प्र0इ0रि0 सं. ....123/2022 दिनांक......8/4/2022

2. (I) अधिनियमः- धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित)अधिनियम 2018 व 120बी भा0दं0सं0

   (II) अधिनियम .... धारायें ....

   (III) अधिनियम .... धारायें ....

   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .... (अ)

3. रोजनामचा आम रपट संख्या ...151.... समय ......5.15 PM.........

   (ब) अपराध घटने का दिन- गुरूवार, दिनांक 07.04.2022 समय 5.20 पीएम

   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ..... समय .... पीएम

4. सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित

5. घटनास्थल :- कमरा नं0 311, कार्यालय सी.ई.ओ. एवं परियोजना निदेशक, बायोफ्यूल प्राधिकरण ग्रामीण विकास विभाग, तृतीय तल, योजना भवन, जयपुर।

   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरी:-बजानिब उत्तर दिशा करीब 08 किमी

   (ब) बीट संख्या..........................जयरामदेही सं.................

   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

   पुलिस थाना ....जिला ....

6.(1) परिवादी /सूचनाकर्ता :-

   (अ) नाम- श्री विपिन परिहार

   (ब) पिता/पति का नाम- डॉ. चिमन सिंह परिहार,

   (स) जन्म तिथी- उम्र- 44 वर्ष

   (द) राष्ट्रीयता - भारतीय

   (य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि

   जारी होने की जगह ....

   (र) व्यवसाय - व्यापार

   (ल) पता- निवासी महामन्दिर जूनी बागड, जोधपुर

6.(2) परिवादी /सूचनाकर्ता :-

   (अ) नाम- श्री सत्यनारायण सैनी

   (ब) पिता/पति का नाम- श्री देवी लाल सैनी,

   (स) जन्म तिथी- उम्र- 49 वर्ष

   (द) राष्ट्रीयता - भारतीय

   (य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि

   जारी होने की जगह ....

   (र) व्यवसाय - व्यापार

   (ल) पता- निवासी 27ए, विवेक विहार, गांधी पथ रोड़, लालरपुरा वैशाली नगर (वेस्ट), जयपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : -

(1) श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री इन्द्र सिंह राठौड़, उम्र 56 वर्ष निवासी 32 तारानगर-ए, झोटवाड़ा, जयपुर हाल सी.ई.ओ. एवं परियोजना निदेशक, बायोफ्यूल प्राधिकरण एवं पदेन संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग, योजना भवन, जयपुर।

(2) श्री देवेश शर्मा पुत्र श्री शिवशंकर शर्मा, उम्र 31 साल निवासी 51 आकाशवाणी कॉलोनी कोटा हाल निवासी किराये का मकान नं0 153/24 शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति)

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).......
....

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य- 5,00,000 रूपये लिप्त सम्पति

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

दिनांक 06.04-2022 को परिवादी श्री विपिन परिहार पुत्र डॉ. चमन सिंह परिहार, उम्र 44 वर्ष निवासी महामन्दिर जूनी बागड, जोधपुर ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय की लिखित शिकायत पेश करी कि ''सेवामे, श्रीमान् महानिदेशक, ए.सी.बी. जयपुर, विषय:- सी.ई.ओ. एवं परियोजना निदेशक को रिश्वत लेते हुए पकडवाने बाबत। महोदयजी, निवेदन है कि हमारी कम्पनी मै. फैम बोयोफ्यूल्स प्रा.लि. एवं कुसुम पेट्रोकेमिकल्स राजस्थान मे बायोडीजल के उत्पादन एवं वितरण का काम करते है। जिसके लिए बायोफ्यूल प्राधिकरण ग्रामीण विकास विभाग के सी.ई.ओ. एवं परि. निदेशक श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। हमे काम करने के ऐवज मे प्रति लीटर रू 2 (दो रूपय) की मांग की गई। उसके उपरान्त अब हमसे प्रति महीना रू 15,00,000/- (पंद्रह लाख रूपये) की मांग की जा रही है। मै दिनांक 04/4/2022 को मेरे पार्टनर श्री देवेन शाह के साथ सी.ई.ओ. से उनके कार्यालय मे जाकर मिला एवं निवेदन किया की हमारे जोधपुर उत्पादन ईकाई की नवीनीकरण व बडोदरा की ईकाई हेतु Extension जो समाप्त हो रहा था को बढाने का निवेदन किया जो उन्होने मना कर दिया क्योकि हमारे द्वारा Monthly 15,00,000 रू रिश्वत के नही दिये इसलिए वो उक्त कार्य नही कर रहे जिसके कारण अपना कार्य नही कर पा रहे। वो हमारे पर दबाव बना रहे है की अगर हम अगर Monthly पैसा नही देंगे तो हमारा लाईसेन्स केंसल कर देंगे। मेरे साथ श्री सत्यनारायण सैनी कुसुम पेट्रोकेमीकल्स जयपुर भी आए है। इनसे भी बिक्री का रू 2/- प्रति लीटर लेते है। इन्होने जनवरी व फरवरी 2022 के रू 5,28,000/- (रू पांच लाख अठ्ठाईस हजार) मांगे गए। उसके बाद अभी तक भी यह पैसे देने का दबाव बना रहे है। हम यह रिश्वत इनको नही देना चाहते इसलिए हम इन्हे रंगे हाथो पकड़वाना चाहते है। कृपया कार्यवाही करने का श्रम करें। एसडी/-विपिन परिहार S/0 डॉ. चिमन सिंह परिहार महामन्दिर जूनी बाजार, जोधपुर मो. 8112211299, एसडी/- सत्यनारायण सैनी S/o देवी लाल सैनी 27। अपअमा विहार गांधी पथ रोड लालरपुरा वैशाली नगर (west) Jaipur मो. 9950994824''। परिवादी मजीद पूछताछ पर बताया कि हमारी फर्म फैम बायोफ्यूल प्रा.लि. इसके निदेशक ऋषि पारीक, दिपेन शाह और दर्शन शाह है। दिनांक 2.6.2017 में यह कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी। मै इस कंपनी का चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हूं। राजस्थान स्टेट का सारा कार्य इस कंपनी का मै ही देखता हूं। 1 अप्रेल 2021 से राजस्थान राज्य में किसी भी प्रकार का कंपनी कार्य हेतु मुझे कंपनी द्वारा साईनिंग अथॉरिटी बनाया गया है, जिसमें मेरे द्वारा हैण्डलिंग एवं मैनेजिंग एवं रिटेलर एवं फ्रेन्चाईजी लाईसेन्सिंग होल्डर इत्यादि हेतु कंपनी ने मुझे अधिकृत किया है। परिवादी के साथी श्री सत्यनारायण सैनी ने भी दरियाफत पर बताया कि श्री सुरेन्द्र सिंह मेरे से भी कुसुम पेट्रोकेमिकल्स कंपनी के क्रम में बायो डीजल बिकी के रूप में रिश्वत की मांग करते है। मेरी कंपनी के कम में रिश्वत देने हेतु श्री विपिन परिहार से ही सुरेन्द्र सिंह वार्ता करेंगे। मजीद पूछताछ एवं दरियाफत से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है। परिवादी एवं सहपरिवादी ने पूछने पर बताया कि हमारा श्री सुरेन्द्र सिंह से कोई उधार लेनदेन बाकी नहीं है तथा ना ही उनसे कोई हमारी रंजिश है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत एवं दरियाफ्त से मामला रिश्वत का पाया जाने पर दिनांक 6-4-2022 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो परिवादी से आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ सी.ई.ओ. द्वारा परिवादी की फर्म मै. फैम बोयोफ्यूल्स प्रा.लि. के लाईसेन्स नवीनीकरण करने हेतु पांच लाख रूपये तथा फर्म के द्वारा बायोडीजल सैल करने हेतु प्रतिमाह रिश्वत के रूप में पन्द्रह लाख रूपये मंथली देने हेतु इस प्रकार पन्द्रह प्लस पांच कुल बीस लाख रूपये रिश्वत की मांग की गई।

दिनांक 7-4-2022 को परिवादी श्री विपिन परिहार उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आया जिससे रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर

परिवादी श्री विपिन परिहार ने अपने पास से दो-दो हजार रूपये के 250 नोट कुल 5,00,000/- रूपये मय एक पीले रंग का लिफाफा प्रस्तुत किया है। जिन पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष श्री सतीश कुमार कानि0 275 से फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाया जाकर मांग के अनुसरण मे आरोपी को देने हेतु परिवादी श्री विपिन परिहार द्वारा लाए एचपी के लेपटॉप बैग में रखवाए गए। जिसकी फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोल्फ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुदर्गी नोट व सुपुर्दगी विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 7-04-2022 को समय 10.50 एएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय परिवादी श्री विपिन परिहार, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ मय ट्रेप बॉक्स मय सामान सरकारी के सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहनो सहित ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर योजना भवन, जयपुर पर पहूंचकर ट्रेप जाल बिछाया गया।

समय करीब 05.20 पीएम पर परिवादी श्री विपिन परिहार पुत्र डॉ. चमन सिंह परिहार, महामन्दिर जूनी बाजार जोधपुर ने योजना भवन, जयपुर के बाहर रोड पर खड़ी स्वयं की गाड़ी आरजे-45-सीएफ-9996 के पास से अपने कान में अंगूली डालकर निर्धारित ईशारा मन् पुलिस उप अधीक्षक को किया। परिवादी का ईशारा पाते ही आस पास खड़े ब्यूरो स्टॉफ एवं स्वतंत्र गवाह श्री दुर्गा सिंह को साथ लेते हुए परिवादी की कार के पास पहूंचा तो परिवादी से पूर्व में सुपुर्द किया गया विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद करके अपने पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी के पास एक व्यक्ति बैग लिए हुए खड़ा हुआ है जिसकी तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यह देवेश शर्मा है जिसको मैने श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ सीईओ के कहने पर मेरी कार में रखे लेपटॉप बैग से रिश्वती राशि का लिफाफा निकालकर इनको देने लगा तो इन्होने अपने हाथ मे नही लेकर अपने बैग की चैन खोलकर उसमें रखने का ईशारा किया। जिस पर मैने रिश्वती राशि 500000-/ रूपये का पीला लिफाफा देवेश शर्मा के बैग मे रख दिया था। जिसके पश्चात् श्री देवेश शर्मा ने अपने बैग की चैन बंद कर ली थी। तभी मैने आपको ईशारा कर दिया था। परिवादी के पास खड़े हुए व्यक्ति को मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना एवं स्वतंत्र गवाह श्री दुर्गासिंह एवं ब्यूरो स्टॉफ का परिचय देते हुए उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम देवेश शर्मा पुत्र श्री शिवशंकर शर्मा, उम्र 31 साल निवासी 51 आकाशवाणी कॉलोनी कोटा हाल निवासी किराये का मकान नं0 153/24 शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर हाल संविदा कर्मी, कंसलटेंट-आईटी, कार्यालय परियोजना निदेशक, बायोफ्यूल प्राधिकरण ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर होना बताया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी विपिन परिहार से रिश्वती राशि 500000/- रूपये के लिफाफे के बारे में श्री देवेश शर्मा से पूछा तो श्री देवेश शर्मा ने बताया कि मुझे घर पर जल्दी जाना था तो मै साहब से छुट्टी मांगने साहब के चेम्बर मे गया था जहां पर श्री विपिन परिहार जी साहब के पास पहले से बैठे हुए थे साहब ने मुझे कहा कि विपिन जी जो लिफाफा देवे वह ले लेना। मै विपिन जी के साथ नीचे विपिन जी की गाड़ी के पास आया तो उन्होने अपनी गाड़ी मे रखे लेपटॉप बैग के अन्दर से एक लिफाफा निकालकर मुझे देने लगे तब मैने मेरे बैग की चैन खोली थी तो उन्होने मेरे बैग मे लिफाफा रख दिया था। मैने लिफाफे के हाथ नही लगाया था। मुझे पता नही था कि लिफाफे मे रूपये है या कागज। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने श्री नीरज भारद्वाज पुलिस निरीक्षक एवं श्री आलोक कुमार कानि0 178 एवं श्री रमेश कुमार कानि0 406 एवं स्वतंत्र गवाह श्री ओमप्रकाश मीना जो पूर्व से परियोजना भवन में आरोपी श्री सुरेन्द्र सिह राठौड़ सी.ई.ओ. के कार्यालय के आस पास मुकीम कर रखा था जरिये फोन श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ सी.ई.ओ. को डिटेन करने हेतु कहा गया। इस पर श्री देवेश शर्मा को उसके बैग सहित परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह श्री दुर्गासिंह एवं ब्यूरो स्टॉफ को साथ लेते हुए परियोजना भवन में प्रवेश कर तृतीय मंजिल पर पहूंचकर कमरा नं0 311 के बाहर पहूंचा तो कमरे के गेट पर श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ की नेमप्लेट लगी हुई है उक्त कमरे में प्रवेश हुआ तो कमरे में पूर्व से श्री नीरज भारद्वाज पुलिस निरीक्षक, श्री आलोक कुमार कानि0 178 एवं श्री रमेश कुमार कानि0 406 एवं स्वतंत्र गवाह श्री ओमप्रकाश मीना तथा अधिकारी की सीट पर बैठा हुआ एक व्यक्ति के साथ उक्त कमरे मे मिले। जिसके बारे मे श्री नीरज भारद्वाज पुलिस निरीक्षक ने बताया कि यही श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ सी.ई.ओ. एवं परियोजना निदेशक है साथ ही परिवादी ने भी उक्त व्यक्ति को श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ होने की ताईद की। उक्त श्री सुरेन्द्र सिह राठौड़ को मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना, स्वतंत्र गवाह एवं ब्यूरो स्टॉफ का परिचय देते हुए उनका पूर्ण नाम पता पूछा तो श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ ने अपना नाम सुरेन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री इन्द्र सिंह राठौड़, उम्र 56 वर्ष निवासी 32 तारानगर-ए, झोटवाड़ा,

जयपुर हाल सी.ई.ओ. एवं परियोजना निदेशक, बायोफ्यूल प्राधिकरण एवं पदेन संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर होना बताया। तत्पश्चात् पास खड़े परिवादी विपिन परिहार ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मै आपके पास से रवाना होकर बायोफ्यूल प्राधिकरण ग्रामीण विकास विभाग, योजना भवन, तृतीय मंजिल जयपुर मे आकर पहले डिप्टी सीईओ मनीन्द्रजीत सिंह तथा एसीईओ श्री अजय गुप्ता से मिला तथा सी.ई.ओ. साहब श्री सुरेन्द्र सिह राठौड़ के बारे मे पूछा जिन्होने सीईओ साहब अपने चेम्बर मे बैठे होना तथा मेरा ही इंतजार करना बताया। मै सी.ई.ओ. राठौड़ साहब से मिला तो इनके पास देवेश शर्मा कंसलटेंट आईटी संविदा कर्मी बैठा था जो मेरे जाने के बाद चला गया था मैने श्री राठौड़ साहब को कहा कि थोड़ा लेट हो गया। आपका सुबह फोन आया था आपने आज के लिए बोला था मैने कहा कि आपने टेलीफोन पर सुबह पेपर लाने के लिए बोला था मै समझा नही था आपने कहा कि कल बात हुई थी वह पेपर तब मेरी समझ मे आ गया। मैने इनसे कहा कि मेरा पार्टनर ऋषि पन्द्रह प्लस पांच सुनकर टेंशन मे आ गया था तब इन्होने कहा कि यह तो अपनी पहले ही बात हो चुकी टेंशन मे आने की क्या बात है। मै अभी पांच लाया हूं क्योंकि यहां पांच का ही अरेंजमेंट हुआ है तब रिश्वत के रूपये की पांच लाख लाने की बात सुनते ही मेरे को कहा कि यहां क्यो लाये हो, यहां सेफ नही है तब मैने कहा कि यहां उपर साथ नही लाया, नीचे गाड़ी मे रखे है तब उन्होने कहा कि मेरे को तो पूरा पन्द्रह प्लस पांच कराओ और यहां नही जोधपुर मे करना इसके बाद राठौड़ साहब प्रिसीपल सेकेट्री की मिटिंग मे चले गए तथा मेरे से कहा कि आपके काम की बात सेकेट्री साहब से कर लूंगा मै आता हूं। आप वेट करो। करीब डेढ़ घंटे बाद राठौड़ साहब वापस आये तथा डिप्टी सीईओ के कमरे मे मिले तथा कहा कि बधाई हो आपका काम हो गया मैने सेकेट्री साहब के साईन करवा लिए तथा डिप्टी सीईओ साहब को मेरा लेटर बनाने के लिए कहा था तथा मेरे को अपने चेम्बर मे ले आए तथा मेरे से पूछा कि पैसे गाड़ी मे ही है ना गाड़ी मे कोई ड्राईवर तो नही है तब मैने इनको कहा था कि गाड़ी मे कोई नही है। इस पर राठौड़ साहब ने अपने चैम्बर मे मौजूद देवेश को कहा कि इनके साथ नीचे जाकर गाड़ी मे से लिफाफा लेकर अपनी गाड़ी लेकर सीधे ही घर चले जाना मेरे को कहा कि आप देवेश के साथ नीचे चले जाओ और इसको दे देना। मै देवेश को नीचे जाकर अपनी गाड़ी मे से रिश्वती राशि 500000/- रूपये का लिफाफा अपने लेपटॉप बैग से निकालकर देने लगा तो देवेश ने अपने बैग की चैन खोल दी तो मैने पांच लाख रूपये रिश्वत का पीले रंग का लिफाफा देवेश के बैग मे रख दिया था तथा कहा था कि पांच है काउन्ट कर लो तथा आपको ईशारा कर दिया था साथ ही यह भी बताया कि राठौड़ साहब सेकेट्रेट गए तब मैने राठौड़ साहब द्वारा मांगी गई रिश्वत पांच एवं पन्द्रह के बारे में डिप्टी सीईओ श्री मनीन्द्रजीत सिंह तथा एसीईओ श्री अजय गुप्ता को बताया तो उन्होने कहा था कि राठौड़ साहब बिना लिए दिए कुछ करते ही नही। हम क्या कर सकते है तथा राठौड़ साहब से मिटिंग मे जाते समय भी डीप्टी सीईओ एवं एसीईओ को मेरा काम करने के लिए कहा व सेकेट्रेट से वापस आने के बाद सेकेट्री साहब से मेरा काम करवाकर लाए तथा मेरे काम का लेटर जारी करने हेतु डिप्टी सीईओ को कहा था।

श्री सुरेन्द्र सिह राठौड़ सीईओ ने पूछने पर श्री विपिन परिहार को जानना बताया तथा कहा कि विपिन परिहार मेरे कार्यालय मे आते रहते है यह फेम बायोफ्यूल लिमिटेड जो गुजरात की कम्पनी है जिसके द्वारा जोधपुर मे प्लांट लगाया जा रहा है तथा इस कम्पनी के द्वारा अपना प्लांट बड़ोदा से जोधपुर शिफ्ट किया जा रहा है जिसका थर्ड पार्टी निरीक्षण के पश्चात् रिपोर्ट हमारे यहां आई थी जिसका नवीनीकरण का कार्य हमारे कार्यालय से होता है इस काम के लिए श्री विपिन परिहार हमारे कार्यालय मे आते रहते है दिनांक 6-4-2022 को भी मेरे पास आए थे। जिस पर मैने इनको बताया था कि आपकी कम्पनी का नवीनीकरण कार्य कम्पनी पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सैफ्टी आर्गेनाईजेशन (पेसो) का लाईसेन्स नही है इसलिए नवीनीकरण नही हो सकता मेरी इनसे कल रिश्वत के रूप मे मंथली देने या नवीनीकरण लाईसेन्स हेतु कोई भी रिश्वत की बात नही हुई है। आज दिनांक 7-4-2022 को श्री विपिन परिहार मेरे पास आए थे तथा लाईसेन्स नवीनीकरण की बात कही थी तब मैने कहा था कि मै सेकेट्रेट मिटिंग मे जा रहा हूं सेकेट्री साहब से बात करूंगा और मै सेकेट्रेट चला गया। वापस आया तब पुनः श्री विपिन परिहार मेरे से मिले थे तथा लाईसेन्स की बात कही थी उस समय मेरे कार्यालय का कर्मचारी श्री देवेश शर्मा मेरे पास आया था तथा अपने घर जाने के लिए मुझसे छुट्टी मांगी थी तो मैने उसको घर जाने के लिए कहा था मैने विपिन परिहार से देवेश शर्मा को कोई लिफाफा कागज आदि लेने के लिए नही कहा था। इस पर पास खड़े परिवादी विपिन परिहार ने श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ सीईओ की बात का खण्डन करते हुए कहा कि श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ झूंठ बोल रहे है इन्होने मुझे देवेश शर्मा को रिश्वती राशि का लिफाफा देने के लिए कहा था तथा मेरे साथ श्री देवेश शर्मा को

नीचे भेजा था तो साहब के कहेनुसार मैने अपनी गाड़ी से रिश्वती राशि 5,00,000/- रूपये का लिफाफा निकालकर श्री देवेश शर्मा को दिया था जो श्री देवेश शर्मा ने अपने बैग की चैन खोल दी थी मैने उक्त रिश्वती राशि का लिफाफा देवेश के बैग मे रख दिया था तथा मैने कहा था कि पांच है काउन्ट कर लो। तत्पश्चात् पुनः आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ ने परिवादी द्वारा उसकी बात का खण्डन करने के बाद बताया कि विपिन जी अपनी कम्पनी के कागजात लाए थे तथा वह कागज अपनी गाड़ी मे रखे होना बताया था तब मैने मेरे कार्यालय के देवेश शर्मा संविदा कर्मी को विपिन जी से कागज लेने के लिए कहा था।

तत्पश्चात् श्री देवेश कुमार संविदा कर्मी के पास रखा हुआ बैग जिस पर अंग्रेजी मे DELL लिखा हुआ है की तलाशी श्री दुर्गा सिंह स्वतंत्र गवाह से लिवाई गई तो बैग के बीच की जेब मेएक हाईकोर्ट का निर्णय से संबंधित कागजात रखा हुआ है उसके उपर एक पीले रंग का लिफाफा मिला है जिसको दोनो स्वतंत्र गवाह से चैक करवाया गया तो उक्त लिफाफे में दो-दो हजार रूपये के नोटो की तीन गड्डीया मिली है जिन्हे स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो दो-दो हजार रूपये के 250 नोट कुल 5,00,000/- रूपये मिले है जिनका मिलान पूर्व में कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो हूबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए। उक्त नोटो व पीले रंग के लिफाफे को एक सफेद कागज के साथ सीलकर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

परिवादी ने बताया कि श्री देवेश शर्मा ने रिश्वती राशि के लिफाफे के हाथ नही लगाया है ऐसी सूरत में श्री देवेश शर्मा के हाथो का धोवन नही लिया गया।

तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर उसमें कार्यालय में रखी प्लास्टिक की पानी की बोतल उक्त गिलास को पुनः धुलवाकर उसमें बोतल से साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। ट्रेप बॉक्स से एक कपड़े की चिंदी लेकर गिलास के घोल में बारी-बारी से डुबोकर देवश शर्मा के पास मिले बैग जिसके बीच की जेब में रिश्वती राशि का लिफाफा बरामद हुआ था उस स्थान व हाईकोर्ट के निर्णय एसबी क्रिमिनल मिस. पिटीशन नं0 4952/2020 सरकार बनाम दिनेश चंद मीना एवं अन्य से संबंधित कागज पर कपड़े की चिंदी को बारी-बारी से फेरकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे समस्त हाजरीन ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों मे आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क बी-1, बी-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा कपड़े की चिंदी को सुखाकर एक कपड़े की थैली मे सिलकर सील चिट मोहर किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया एवं DELL कम्पनी लिखा हुआ बैग जिसमे बीच की जेब जहां पर हाईकोर्ट का निर्णय रखा हुआ उस निर्णय पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थैली में रखकर सील चिट मोहर कर मार्क-बी अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

परिवादी के कार्य से संबंधित पत्रावली के बारे मे श्री सुरेन्द्र सिह राठौड़ सीईओ को पेश करने हेतु कहा गया। श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ सीईओ ने बताया कि संबंधित पत्रावली डिप्टी सीईओ श्री मनीन्द्रजीत सिंह के पास है इस पर श्री मनीन्द्रजीत सिंह डिप्टी सीईओ ने परिवादी के पैण्डिग कार्य से संबंधित पत्रावली मय नोटशीट पेश करी जिसका अवलोकन किया जिसमें परिवादी की संबंधित फर्म फेम बायोफ्यूल प्रा.लि. बड़ोदरा गुजरात को बायोडीजल की आपूर्ति किये जाने की अनुमति दिनांक 7-4-2022 को दे रखी है। परिवादी के कार्य से संबंधित पत्रावली की प्रमाणित फोटो प्रति पृथक से जरिये फर्द जप्ती प्राप्त की गई। उक्त पत्रावली के अवलोकन से परिवादी द्वारा आरोपी से अपने कार्य के संबंध में की गई वार्ता तथा रिश्वत मांग के उपरान्त परिवादी द्वारा रिश्वत देने की हां करने पर परिवादी के कार्य करने की पुष्टि होती है। परिवादी श्री विपिन परिहार ने बताया कि मेरे मिलने वाले की फर्म मैसर्स राजपुताना बायोडीजल प्रा.लि. जी-24, रिको इण्डिस्ट्रीयल ऐरिया फुलेरा, जयपुर की भी पत्रावली श्री सुरेन्द्र सिह राठौड़ के पास पैण्डिग है इस पत्रावली को भी रिश्वत राशि नही देने के कारण आगे कार्यवाही नही की गई है इस संबंध में मौके पर उपस्थित श्री मनीन्द्रजीत सिंह डिप्टी सीईओ को पत्रावली की वस्तुस्थिति एवं फोटो प्रतियां प्रमाणित प्राप्त की गई। जिसके संबंध में अनुसंधान से स्थिति स्पष्ट की जावेगी।

विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डस को बारी-बारी चलाकर सरसरी तौर पर सुना गया तो उसमे रिश्वत लेन देन के वक्त की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई है जिसकी ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने के पश्चात् रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वल लेन देन से संबंधित वार्ता की वाईस क्लिपस की नियमानुसार सीडीया तैयार की गई।

परिवादी विपिन परिहार ने रिश्वत मांग सत्यापन एवं रिश्वत लेन देन के दौरान श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ सीईओ से रिश्वत मांगने के क्रम मे पन्द्रह लाख एवं पांच लाख की बात हुई थी। यह बाते श्री मनीन्द्रजीत सिंह डीप्टी सीईओ तथा श्री अजय गुप्ता एसीईओ को भी बताई थी। इस क्रम में मौके पर उपस्थित श्री मनीन्द्रजीत सिंह पुत्र स्व. श्री कुलबीर सिंह, उम्र 57 वर्ष जाति सिक्ख निवासी 6-ख-19 जवाहर नगर, जयपुर हाल डिप्टी सीईओ (प्रोसेसिंग), कार्यालय परियोजना निदेशक, बायोफ्यूल प्राधिकरण एवं पदेन संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, योजना भवन, जयपुर मो0नं0 9829136200 एवं श्री अजय गुप्ता पुत्र स्व. श्री जी.एल. गुप्ता उम्र 51 वर्ष जाति महाजन निवासी 2-क-8, हाउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर, जयपुर हाल असिसटेंट चीफ एक्जूकेटिव ऑफिसर (एमआईएस), परियोजना निदेशक, बायोफ्यूल प्राधिकरण ग्रामीण विकास विभाग, योजना भवन, जयपुर मो0नं0 941431319 से पृथक-पृथक पूछताछ की गई तो श्री मनीन्द्रजीत सिंह डिप्टी सीईओ तथा श्री अजय गुप्ता एसीईओ ने बताया कि यह बात सही है कि श्री विपिन परिहार दिनांक 6-4-2022 तथा आज 7-4-2022 को आकर हमसे मिला था तथा श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ सीईओ साहब के लिए कहा था कि वह उसके कार्य के संबंध में पांच लाख एवं पन्द्रह लाख रूपये मांग रहे है। तब हमने कहा था कि राठौड़ साहब हमारे अधिकारी है हम क्या कर सकते है वह बिना लिए दिए काम करते ही नही है। श्री सुरेन्द्र सिह राठौड़ सीईओ ने सेकेट्रेट से वापस आकर हमे श्री विपिन परिहार के कार्य से संबंधित नोटशीट एवं पत्रावली दी थी जिस पर श्री विपिन परिहार से संबंधित फर्म फेम बायोफ्यूल प्रा.लि. बड़ोदरा गुजरात को बायोडीजल की आपूर्ती किए जाने की अनुमति की अप्रुवल साहब सेकेट्री साहब से करवाकर लाने की बात कहते हुए इस फर्म से संबंधित अनुमति का पत्र जारी करने के लिए कहा था। लेकिन हमने कहा था कि आज कार्यालय समय समाप्त होने वाला है इसलिए आज पत्र जारी नही होगा। कल पत्र जारी कर देंगे। हमने परिवादी श्री विपिन परिहार से कभी भी इनके काम करने की ऐवज मे या अन्य किसी कार्य के क्रम मे कभी भी रिश्वत की मांग नही की है और ना ही कभी कोई रिश्वत ली है। उक्त दोनो का जवाब देने पर मौके पर उपस्थित परिवादी ने श्री मनीन्द्रजीत सिंह एवं अजय गुप्ता की बात की ताईद करते हुए कहा कि इन्होने मेरे से कभी भी कोई रिश्वत प्राप्त नही की है और ना ही कभी रिश्वत मांगी है। उक्त श्री मनीन्द्रजीत सिंह डिप्टी सीईओ एवं श्री अजय गुप्ता एसीईओ के द्वारा मौके पर दिए गए स्पष्टीकरण तथा परिवादी द्वारा उक्त स्पष्टीकरण की ताईद करने से उक्त दोनो श्री मनीन्द्रजीत सिंह एवं श्री अजय गुप्ता की रिश्वत मांग एवं लेन देन मे संलिप्तता नही पाई गई है।

दर्ज रहे कि श्री देवेश शर्मा ने स्वयं को इस कार्यालय मे संविदा कर्मी होना बताया है तथा श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ ने भी अपनी कार्यालय मे श्री देवेश शर्मा को संविदा कर्मी ही होना बताया है इस क्रम मे मौके पर उपस्थित डिप्टी सीईओ श्री मनीन्द्रजीत सिंह से श्री देवेश शर्मा के संविदा कर्मी से संबंधित सेवा विवरण देने हेतु पत्र जारी किया जिस पर उक्त डिप्टी सीईओ ने बताया कि श्री देवेश शर्मा इस कार्यालय में संविदा कर्मी नही है श्री सुरेन्द्र सिह राठौड़ सीईओ साहब ने श्री देवेश शर्मा को दस पन्द्रह दिन पूर्व मौखिक रूप से इस कार्यालय में कार्य करने के लिए कहते हुए बताया था कि यह अच्छा काम करता है इसका काम देखकर इसको संविदा पर रख लेगे लेकिन श्री देवेश शर्मा रिकार्ड के अनुसार इस कार्यालय में संविदा कर्मी नही है।

अब तक की कार्यवाही से श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री इन्द्र सिंह राठौड़, उम्र 56 वर्ष निवासी 32 तारानगर-ए, झोटवाड़ा, जयपुर हाल सी.ई.ओ. एवं परियोजना निदेशक, बायोफ्यूल प्राधिकरण एवं पदेन संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, तृतीय तल, योजना भवन, जयपुर ने परिवादी श्री विपिन परिहार पुत्र डॉ. चमन सिंह परिहार, महामन्दिर जूनी बाजार जोधपुर की फर्म फेम बायोफ्यूल्स प्रा.लि. एवं कुसुम पेट्रोकेमिकल्स राजस्थान मे काम करने का लाईसेंस नवीनीकरण करने की ऐवज में पांच लाख तथा फर्म सुचारू रूप से कार्य करने देने की ऐवज मे पन्द्रह लाख रूपये प्रति माह की मांग करना तथा दिनांक 6-4-2022 को मांग सत्यापन के दौरान पन्द्रह प्लस पांच लाख रूपये की मांग करना पाया गया तथा मांग के अनुसरण में आज दिनांक 7-4-2022 को परिवादी श्री विपिन परिहार जब रिश्वती राशि 5,00,000/- रूपये का लिफाफा श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ को देने हेतु उसके कार्यालय में आया तो आरोपी श्री सुरेन्द्र सिह राठौड़, सीईओ ने श्री देवेश शर्मा संविदा कर्मी नही होते हुए भी स्वयं के लिए रिश्वत लेन देन हेतु दलाल के रूप मे श्री देवेश शर्मा को रखना तथा आज ट्रेप

कार्यवाही के दौरान श्री देवेश शर्मा पुत्र श्री शिवशंकर शर्मा, उम्र 31 साल निवासी 51 आकाशवाणी कॉलोनी कोटा हाल निवासी किराये का मकान नं0 153/24 शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर हाल संविदा कर्मी, कंसलटेंट-आईटी, कार्यालय परियोजना निदेशक, बायोफ्यूल प्राधिकरण ग्रामीण विकास विभाग, योजना भवन, जयपुर को श्री विपिन परिहार के साथ नीचे जाकर उनकी गाड़ी से जो दे वह लेने तथा लेकर सीधे ही घर निकलने के निर्देश देते हुए परिवादी के साथ भेजना। श्री देवेश शर्मा को यह भलीभांति ज्ञान था कि श्री सुरेन्द्र सिह राठौड़ परिवादी श्री विपिन परिहार के साथ रिश्वती राशि लेने हेतु नीचे भेज रहे है इसलिए सतर्कता बरतते हुए श्री देवेश शर्मा ने परिवादी द्वारा दी गई रिश्वती राशि के लिफाफे के हाथ नही लगाना व सीधे ही अपने बैग मे रखवाना तथा परिवादी द्वारा श्री देवेश शर्मा को लिफाफा देने के बाद पांच लाख रूपये काउंट करने की बात कहने पर भी रिश्वत के लिफाफे को ग्रहण करना प्रमाणित पाया गया है। श्री देवेश शर्मा के द्वारा रिश्वत प्राप्त करने मे की गई उक्त कार्यवाही से यह प्रथम दृष्टया प्रमाणित है कि श्री देवेश शर्मा ने रिश्वती राशि का ज्ञान होते हुए भी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ सीईओ के लिए पांच लाख रूपये रिश्वती राशि के लिफाफे को ग्रहण किया है। रिश्वती राशि व लिफाफा आरोपी श्री देवेश शर्मा के डेल कम्पनी के बैग के बीच की जेब से बरामद हुआ है। इस प्रकार उक्त श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ सीईओ तथा श्री देवेश शर्मा ने आपसी षड्यंत्र रचकर परिवादी से उसकी फर्म के पैण्डिग कार्य की ऐवज मे रिश्वती राशि 5,00,000/- रूपये लिफाफे मे प्राप्त किए है। जिससे इनका उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 व 120बी भा0दं0सं0 का पाया जाने पर श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री इन्द्र सिंह राठौड़, उम्र 56 वर्ष निवासी 32 तारानगर-ए, झोटवाड़ा, जयपुर हाल सी.ई.ओ. एवं परियोजना निदेशक, बायोफ्यूल प्राधिकरण एवं पदेन संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, योजना भवन, जयपुर व श्री देवेश शर्मा पुत्र श्री शिवशंकर शर्मा, उम्र 31 साल निवासी 51 आकाशवाणी कॉलोनी कोटा हाल निवासी किराये का मकान नं0 153/24 शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) को पृथक-पृथक जरिये फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ के मोबाईल आईफोन को चैक किया गया तो आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ एवं परिवादी के मध्य वाट्सअप कॉल किए हुए है इस संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ के वाट्सअप कॉल जो परिवादी से वार्ता की गई है की दुसरे मोबाईल से फोटो खीच कर प्रिन्ट निकलवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ के मोबाईल आईफोन तथा श्री देवेश शर्मा प्राईवेट व्यक्ति के फोन का एफएसएल से जांच करवाने पर अन्य रिश्वत लेन देन एवं मांग से संबंधित तथ्य प्रकट हो सकते है। अतः दोनो के मोबाईल फोनो को पृथक से जरिये फर्द जप्ती जप्त किया गया।

अतः आरोपीगण (1) श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री इन्द्र सिंह राठौड़, उम्र 56 वर्ष निवासी 32 तारानगर-ए, झोटवाड़ा, जयपुर हाल सी.ई.ओ. एवं परियोजना निदेशक, बायोफ्यूल प्राधिकरण एवं पदेन संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग, योजना भवन, जयपुर एवं (2) श्री देवेश शर्मा पुत्र श्री शिवशंकर शर्मा, उम्र 31 साल निवासी 51 आकाशवाणी कॉलोनी कोटा हाल निवासी किराये का मकान नं0 153/24 शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120बी भा0दं0सं0 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

8.4.22
(संजय कुमार)
पुलिस उप अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर ग्रामीण,जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री श्री संजय कुमार, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपी 1. श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़, हाल सी.ई.ओ. एवं परियोजना निदेशक, बायोफ्यूल प्राधीकरण एवं पदेन संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, योजना भवन, जयपुर एवं 2. श्री देवेश शर्मा पुत्र श्री शिवशंकर शर्मा (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 123/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना की प्रतियाँ रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

8.4.22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 1089-94 दिनांक 08.04.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर, कं.स.-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. शासन उप सचिव कार्मिक (क-3/शिकायत)राजस्थान, जयपुर।
5. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।